

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक-जविप्रा/संयुक्त रजि./सह./2016/डी-70।

दिनांक-15/12/16

-: सार्वजनिक सूचना:-

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक-एफ. 1(60)नविवि/जयपुर/2016पार्ट दिनांक-08.12.2016 के क्रम में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सृजित जिन आवासीय योजनाओं का रिकॉर्ड पूर्व में गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनका रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित आवासीय योजना की विकास समितियों को सूचित किया जाता है कि, वे जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफॉर्मा में, कार्यालय दिवस में, उनसे सम्बन्धित कार्यालय मानसरोवर सेक्टर-12, हाउसिंग बोर्ड डिस्पेन्सरी एवं सामुदायिक केन्द्र, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर में योजना के रिकॉर्ड तीन प्रतियों में दिनांक-18.01.2017 तक जमा करा सकते हैं। पूर्ण आवेदन ही स्वीकार्य होंगे।



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सहकारिता प्रकोष्ठ,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय—पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं का रिकॉर्ड विकास समिति द्वारा प्रस्तुत करने हेतु सूचना।
(योजना/विकास समिति का नाम.....
.....)

महोदय,

विकास समिति से योजना के सम्बन्ध में चाही गई सूचनाएं निम्न प्रकार से है :-

1. समिति का नाम, पंजीयन संख्या एवं दिनांक—
2. विकास समिति की प्रबंधकारिणी समिति की सूची
3. समिति की प्रबंधकारिणी के संकल्प की दिनांक/आमसभा की पुष्टि की दिनांक
4. क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया।
 - (1) जोन संख्या—
 - (2) ग्राम और तहसील का नाम
 - (3) योजना की भूमि का विवरण (खसरा संख्या व क्षेत्रफल)

ग्राम	तहसील	खसरा नम्बर		रकबा		क्षेत्रफल
		नया	पुराना	नया	पुराना	

5. योजना में रहवास/निर्माण की सूचना।

	कुल भूखण्ड	रहवास/निर्माण	प्रतिशत
योजना में रहवास			
योजना में निर्माण			

6. आवेदक के साथ संलग्नक (3 प्रतियों में)
- (1) विकास समिति के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति
 - (2) विकास समिति के प्रबंधकारिणी के संकल्प की प्रमाणित प्रति।
 - (3) विकास समिति की आमसभा में संकल्प की पुष्टि एवं कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति।
 - (4) योजना के सदस्यों की सूची मय पिता/पति का नाम एवं भूखंड संख्या मय क्षेत्रफल (सदस्यता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर राजस्व ग्राम/तहसील का नाम, समिति पदाधिकारी (अध्यक्ष/मंत्री) के हस्ताक्षर एवं समिति की मोहर अंकित करें)
 - (5) स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के ब्यौरें।
 - (6) जमाबंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)
 - (7) ले-आउट प्लान, सेक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारोपण (सुपर इम्पोजिशन) तथा मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र जो निशुल्क अभ्यर्पित किया जाना है को दर्शाते हुये।
 - (8) खसरा मानचित्र का ट्रेस।
 - (9) की-प्लान।
 - (10) सर्वेक्षण नक्शा (पी.टी. सर्वे) मय सॉफ्ट (SOFT) कॉपी (चार जी.पी.एस. कॉर्डिनेट सहित)
 - (11) आवेदक विकास समिति के पदाधिकारियों (अध्यक्ष एवं मंत्री) की पहचान का सबूत (फोटो पहचान पत्र)
 - (12) नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र (संलग्न प्रपत्र-1 के अनुसार)
 - (13) क्षेत्र संगणना के ब्यौरें (AREA Calculation) संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार।
7. अन्य विवरण।
- (1) क्या योजना कोई एच.टी./एल.टी. लाईन या ट्रांसफार्मर से प्रभावित है।
 - (2) क्या भूमि देवस्थान विभाग, लोक न्यास, धार्मिक, पूर्वत संस्था या किसी वक्फ से संबंधित है।
 - (3) क्या योजना की दूरी रेलवे लाईन/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से नियमानुसार है अथवा नहीं है (अंकित करें)।
 - (4) क्या योजना के सन्दर्भ में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन/स्थगन से प्रभावित है। यदि हॉ, तो विवरण अंकित करें।
 - (5) आवेदित भूमि की पहुंच सडक की चौड़ाई।
 - (6) कोई अन्य सुसंगत सूचना
 - (7) पृष्ठों की कुल संख्या
 - (8) आवेदन की तारीख

नोट-1. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक- एफ.1(60) न.वि.वि/जयपुर/2016 पार्ट दिनांक 08.12.2016 के अनुसार योजना में रहवास 5 प्रतिशत होना चाहिए अथवा 10 प्रतिशत प्लॉटो पर निर्माण कार्य होना आवश्यक है साथ ही उक्त अंकित बिंदुओं में किसी भी संलग्नक की प्रस्तुति के अभाव में प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

घोषणा

1. मैं/हम अध्यक्ष/मंत्री
- विकास समिति इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ।/करते हैं कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक का नाम—

.....
.....
.....

सम्पर्क नम्बर.....

(दूरभाष)

और ई-मेल पता—.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुल पृष्ठ..... एवं निम्नलिखित संलग्नक के साथ प्रस्तुत किये गये है।

संलग्नक:-

1.	रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।	8.	खसरा मानचित्र।
2.	प्रबन्धकारिणी के संकल्प की प्रमाणित प्रति।	9.	की-प्लान।
3.	आमसभा में संकल्प की पुष्टि एवं कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति।	10.	पी.टी. सर्वे।
4.	सदस्यता सूची।	11.	समिति पदाधिकारियों के फोटो पहचान पत्र।
5.	स्वामित्व के समर्पण में प्रमाणित विक्रय विलेख इत्यादि।	12.	शपथ पत्र।
6.	जमाबंदी की नवीनतम प्रति।	13.	क्षेत्र सगणना के ब्यौरे।
7.	ले-आउट प्लान।	14.	न्यायालय आदेश व दिनांक, यदि है तो।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

आवेदक विकास समिति ने दिनांक..... को अपने अध्यक्ष/मंत्री के जरिये आवेदन कुल पेंज एवं संलग्नक के साथ प्रस्तुत किया है। जो दिनांक-..... को रजिस्टर में संख्या-..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। प्रकरण राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक-एफ.1(60)नविवि/(जयपुर)/2016 पार्ट दिनांक-08.12.2016 के अनुसार जारी नियमों के तहत प्रक्रिया अन्तर्गत निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेजों सम्बन्धी जानकारी, यदि कोई हो एक माह के भीतर या तो दूरभाष पर सूचित की जावेगी या जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र—.

प्रपत्र-10/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

शपथ पत्र

मैं/हम अध्यक्ष/मंत्री

विकास समिति लि. पता—.....

सत्य व निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ :-

1. मैं शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि योजना की भूमि समिति द्वारा खातेदार से क्रय की गई है इस भूमि को राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने के विरुद्ध किसी भी स्तर के न्यायालय में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी या वर्तमान में प्रभावशाली नहीं है।
2. यह कि प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियां/मेरी/हमारी जानकारी/समिति के रिकॉर्ड अनुसार सही है। इस सूचनाओं के अतिरिक्त इस योजना में सम्बन्धित कोई अन्य/दूसरा रिकॉर्ड समिति में न है न था। प्रस्तुत रिकॉर्ड अंतिम रिकॉर्ड है।
3. समिति द्वारा प्रत्येक भूखण्ड का एक ही आंवटन पत्र जारी किया गया है जो प्रस्तुत सदस्य सूची के अनुसार है।
4. प्रस्तुत योजना का किसी अन्य योजना से ओवरलेपिंग नहीं है।
5. मैं समिति की तरफ से योजना का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत हूँ।
6. योजना में रहवास 5 प्रतिशत/10 प्रतिशत प्लॉटो पर निर्माण स्थित है।

मैं शपथकर्ता अध्यक्ष/मंत्री.....

विकास समिति लि. ईश्वर को साक्षी करके शपथ व निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई और तथ्य व रिकॉर्ड के विपरीत कोई बात नहीं कही गयी है। अतः ईश्वर सच बोलने में मेरी सहायता करें।

(शपथग्रहिता के हस्ताक्षर)

नाम.....

कार्यालय का पता—.....

दिनांक—.....